**प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.**

प्रकरण संख्या: 108/**2024** (अपील सूचना का अधिकार)

Sawarmal Agarwal Add. 48, Adinath Nagar, Bali, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक:.................

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329897338951854 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 14.08.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी बड़गांव द्वारा माह जुलाई 2024 में फील्ड क्लब की भूमि के बारे में दिए गए निर्णय के संबंध में श्रीमान जिलाधीश महोदय द्वारा श्रीमान अति. जिलाधीश महोदय को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, से संबंधित पत्रावली की प्रतिलिपि चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 1875296860 दिनांक 22.08.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/108/24/985–96 दिनांक 22.08.2024 से लिखा गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र कमांक प.41/2/लो.सू.अ./प्रथम अपील 108/2024/826 दिनांक 29.08.2024 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 14.08.2024 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र में वर्णितानुसार प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी बड़गांव द्वारा माह जुलाई 2024 में फिल्ड क्लब की भूमि के बारे में दिये गये निर्णय के संबंध में जिला कलक्टर महोदय एवं अति. जिला कलक्टर को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में सूचना चाही गई थी परन्तु प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का स्पष्ट अंकन नहीं होने से पता नहीं लग पाया कि उक्त प्रकरण कहा से प्रक्रियाधीन हो रहा है। इस हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत अस्वीकार कर दिया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना संबंधी प्रकरण कहा विचाराधीन है ज्ञात नहीं होने से सूचना दिया जाना संभव नहीं है। इस हेतु चाही गई सूचना शून्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील निस्तारित करने की कृपा करावें।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब जरिये पत्रांक 826 दिनांक 29.08.2024 अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का स्पष्ट अंकन नहीं होने से प्रार्थी का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत अस्वीकार किया गया। चूंकि अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उपखण्ड अधिकारी बड़गांव द्वारा माह जुलाई 2024 में फील्ड क्लब की भूमि के बारे में दिए गए निर्णय के संबंध में जिला कलक्टर द्वारा अति. जिलाधीश को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, से संबंधित पत्रावली की प्रतिलिपि चाही गई थी, जो कि स्पष्ट अंकित है। तो फिर किस तरह से लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 8 के तहत अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया गया है स्पष्ट नहीं है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना पठनीय एवं स्पष्ट रूप से अंकित की गई है ऐसी स्थिति में धारा 8 के प्रावधान उक्त आवदेन पर लागू नहीं होने से अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। लोक सूंचना अधिकारी को चाहिए कि प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना नियमानुसार निशुल्क 21 दिवस में उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर